अध्याय XXI : सामान्य

21.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के निरन्तर अनुदेशों/अनुशंसाओं के बाबजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने, लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी 51 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई टिप्पिणयां प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, पिछले पांच वर्षों से लम्बित का.टि. की स्थिति में सुस्पष्ट सुधार था।

लोक सभा सचिवालय ने, सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात इनमें निहित विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/की गई शोधक कार्रवाई दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पिणयां भेजने के लिए अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए थे।

संसद में, 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किए गए उनके नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवी लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पिणयों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यह अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि., संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच करके उनको प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 29 अप्रैल 2010 में संसद को प्रस्तुत उनके ग्यारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने अनुशंसा की कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्बों के सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

लो.ले.स. ने यह भी इच्छा की कि का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्बों से संबंधित मामलों को आवधिक रूप से, ज्यादातर तिमाही अंतराल पर सचिव समिति (स.स.) के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि सभी चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाई की जाए।

उनकी अनुशंसाओं के अनुसरण में, स.स. द्वारा कैबिनेट सचिवालय में कई बैठकें की गई थीं जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:

(i) मंत्रालय/विभागों में सचिव, जो मुख्य लेखांकन अधिकारी हैं, निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. प्रतिवेदनों पर का.टि./का.रि. को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ii) उपयुक्त शोधक उपाय करने के अतिरिक्त नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैराओं पर का.टि. तथा लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर का.रि. के प्रस्तुतीकरण की मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वित्तीय सलाहकार सहित सचिव/विशेष सचिव द्वारा अध्यक्षता वाली स्थायी लेखापरीक्षा समिति (स्था.ले.प.स.) स्थापित की जाएगी।

(iii) का.टि. के तीव्र प्रस्तुतीकरण हेतु का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं का नियमित आयेाजन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त नवम्बर 2012 में हुई अपनी बैठक में, स.स. ने पाया कि चूंकि सभी मंत्रालयों/विभागेां ने पहले ही स्था.ले.प.स. स्थापित कर ली थी। इसलिए वह यह सुनिश्चित करे कि लम्बित पैराग्राफ/प्रतिवेदनों के निपटान हेतु कार्याशालाओं/अदालतों का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। उनके द्वारा यह भी पाया गया था कि पुराने लम्बित पैराओं में 50 प्रतिशत के सम्मत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा था।

जबकि यह प्रत्याशित है कि लम्बित स्थिति में अभिकल्पित 50 प्रतिशत की कटौती कुछ समय ले सकती है; पिछले पांच वर्षों से लम्बित का.टि. की स्थिति ने अभी भी निरंतर गिरावट दर्ज की है जैसा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

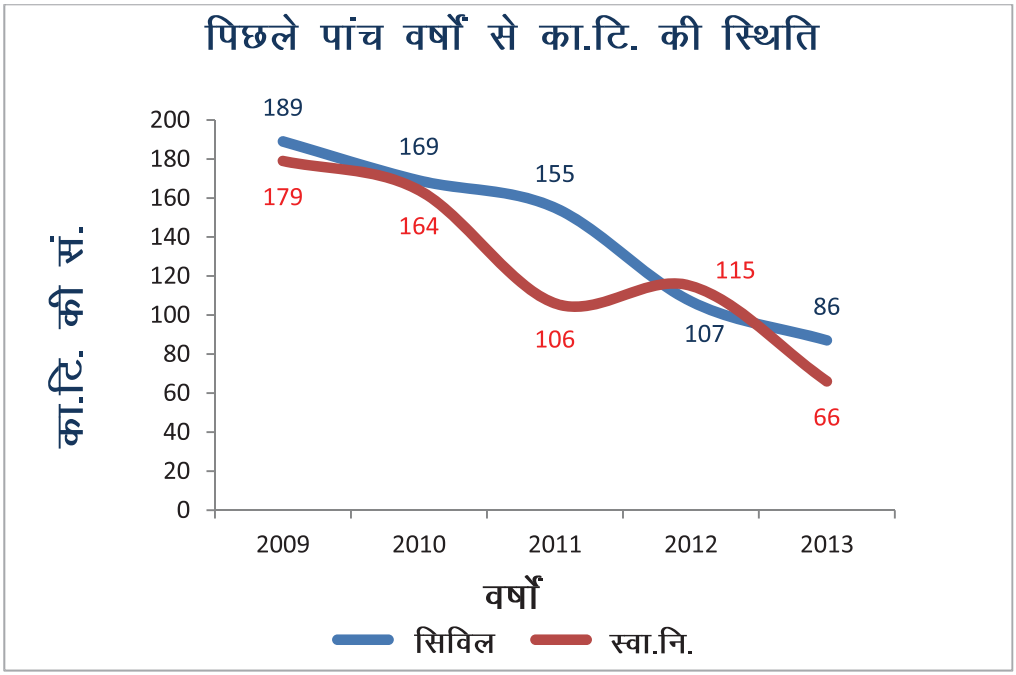

जैसा कि देखा जा सकता है कि 2009 में 368 से 2013 में 152 तक लम्बित का.टि. की संख्या में 58 प्रतिशत की गिरावट थी जो लो.ले.स. तथा स.स. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पर्याप्त अनुपालना दर्शाने हेतु प्रकट होगी।

31 मार्च 2013 की समाप्त अवधि तक लम्बित का.टि. की मंत्रालय-वार स्थिति **परिशिष्ट XIV तथा XV** में दी गई है। 152 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, में से 51 पैराग्राफों के संबंध मे का.टि. बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई थी।

21.2 ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 51 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 26 के प्रत्युत्तर नहीं भेजे थे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए

प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रत्युत्तर, पैराग्राफ की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए थे।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन में शामिल 51 पैराग्राफों में से 26 में, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। ब्यौरे **परिशिष्ट XVI** में दर्शाए गए हैं।

नई दिल्ली **(सतीश लूम्बा)**
दिनांक: 8 अक्टूबर 2014 **महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 9 अक्टूबर 2014 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**